

प्रेस नोट

दिनांक 02.11.2022

सराहनीय कार्य अमेठी पुलिस

थाना बाजारशुक्ल पुलिस द्वारा चोरी के 04 हजार रुपए व चोरी के सामान के साथ

01 नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

जनपद अमेठी में अपराध एवं अपराधियों के धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 02.11.2022 को उ0नि0 रामविभू सिंह थाना बाजारशुक्ल मय हमराह द्वारा तलाश वांछित देखभाल क्षेत्र व चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु, वाहन के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 256/22 धारा 457,380 भादवि में वांछित अभियुक्त आलोक शुक्ला पुत्र विमलेश शुक्ला निवासी ग्राम कटरा थाना सुबेहा जनपद बाराबंकी उम्र करीब 22 वर्ष को चोरी के रुपये 4000 /- व चोरी के 02 अदद सीसीटीवी कैमरे के साथ रामकुमार इण्टर कॉलेज के पास से समय करीब 05:45 बजे प्रातः गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के संबंध में थाना बाजारशुक्ल द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त आलोक शुक्ला ने बताया कि दिनांक 29.10.2022 को मैं अपने अन्य दो साथी पंकज पुत्र रामदत्त निवासी गुलामाबाद एवं मो0 अली पुत्र मकदूम के साथ मिलकर कस्बे में नाले के किनारे बनी दुकान से फॉरच्यून रिफाइन व सरसो के तेल के पीपे, कुछ नगदी तथा सीसीटीवी कैमरे व टीवी चोरी किये थे । टीवी मो0 अली के पास है, तेल के पीपे पंकज के पास हैं और कैमरे मेरे पास हैं जिन्हें बेचने के लिये ले जा रहा था । बरामद रुपये उसी चोरी के हैं ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

- आलोक शुक्ला पुत्र विमलेश शुक्ला निवासी ग्राम कटरा थाना सुबेहा जनपद बाराबंकी उम्र करीब 22 वर्ष ।

पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

- मु0अ0सं0 256/22 धारा 457,380,411 भादवि थाना बाजारशुक्ल जनपद अमेठी ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 रामविभू सिंह थाना बाजारशुक्ल जनपद अमेठी ।
2. का0 सुमेश मौर्या थाना बाजारशुक्ल जनपद अमेठी ।
3. का0 नीलेश सिंह थाना बाजारशुक्ल जनपद अमेठी ।